न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 12/2017

1. जयराम
2. दयालसिंह
3. कृष्णसिंह
4. सुलतानसिंह
5. बलवीरसिंह

पिसरान करतारसिंह जाति बाबरी निवासी चक 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

1. सोहनसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति बाबरी निवासी चक 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।
3. कश्मीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति बाबरी निवासी चक 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर दिनांक 19.01.2017

उपस्थितिः–

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक अपीलांट

श्री तेजासिंह , अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 12.03.2018**

प्रकरण के तथ्य में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने एक प्रा.पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष राज.काश्त.अधि.की धारा 251ए का पेश कर कथन किया कि चक 58 एफ ए के मु.नं. 18 के कि.नं. 13 से 25 की 3.086है0 व मु.नं. 32/16 के 0.076है0 भूमि प्रार्थीगण सं. 1 से 5 की ब.हि. ब. खातेदार हैं जिसमें प्रार्थी सं. 6 भी 0.527है0 का भी खातेदार है। मु.नं. 18 के

12/3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कि.नं. 1 से 13 की 2.985है0 तथा मु.नं. 32/15 के 0.050है0 गै.मु. खाला कुल 3.035है0 अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण आबादी भूमि से होते हुए मु. नं. 18 के कि.नं. 1 से 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए अप्रार्थी की भूमि मु.नं. 18 के कि.नं. 1, 10, 11 से होते हुए अपने मु.नं. 18 के कि.नं. 20 में प्रवेश करते हैं एवं उक्त रास्ता 30–40 वर्षों से चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि मु.नं. 18 कि.नं. 1, 10, 11 की पश्चिमी बट के साथ–साथ उत्तर से दक्षिण की ओर 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण मु.नं. 17 के कि.नं. 5, 6, 15 में चालू रास्ता से आवागमन करते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 19.01.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया एवं मु.नं. 17 के कि.नं. 5, 6, 15 में चल रहे घरेलू रास्ता को स्वीकृत कराने बाबत प्रार्थीगण अलग से प्रा.पत्र पेश कर सकते हैं जिसके लिए वह स्वतंत्र है। ऐसा आदेश में अंकित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपनी भूमि जाने हेतु मु.नं. 18 के कि.नं. 1, 10, 11 में से ही रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया था। उक्त रास्ता से ही अपीलांट अपनी भूमि में आते–जाते हैं। अधी. न्यायालय ने रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर आवेदित रास्ता स्वीकृत किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय के समक्ष रेस्पों. ने वैकल्पिक रास्ता मु.नं. 17 के 5, 6, 17 में चालू

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

होना बताया था जिसे अपीलांट स्वीकार करवा सकता है। ऐसा ही अधी. न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 19.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रा.पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए खारिज किया है जबकि रास्ते की निहायत ही आवश्यकता होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय के निर्णय का कियात्मक हिसा है कि प्रार्थीगण के द्वारा चक 58 एफ ए के मु.नं. 18 के कि.नं. 1, 10, 11 में से रास्ता स्वीकृत बाबत प्रा.पत्र पेश किया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि के साथ चिपता मुरब्बा नं. 17 के कि.नं. 5, 6, 15 में घरेलू तौर पर छोडा गया रास्ता मौके पर चालू है जिसे प्रार्थीगण स्वीकृत करवाने बाबत। प्रा.पत्र पेश कर सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। चक 58 एफ ए के मु.नं. 17 के कि.नं. 5, 6, 15 में चल रहे घरेलू रास्ता को स्वीकृत कराने बाबत। प्रार्थीगण अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं जिसके लिए वह स्वतंत्र है।

जिस आधार पर अधी.न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र खारिज किया यथा चक 58 एफ ए के मु.नं. 17 के कि.नं. 5, 6, 15 में घरेलू रास्ता चालू है इसलिए प्रकरण खारिज किया है कि रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अंकित किया है कि चक 58 एफ ए के मु.नं. 17 के कि.नं. 5 से 15 में चल रहे घरेलू तौर पर छोडा गया व मु.नं. 18 के कि.नं. 1 ,10, 11 की पश्चिमी बट के साथ–साथ उत्तर से दक्षिण की ओर 2–2 बिस्वा घरेलू तौर पर छोडे गये दोनों रास्ते मौके

12/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पर बन्द है। मौका रिपोर्ट निर्णय के आधार के विपरी त प्राप्त हुई है साथ ही राजस्थान काश्त.अधि. 1955 की धारा 251ए एवं इसकी कियान्वति हेतु बने नियमों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा वैकल्पिक रास्ते के लिए आवेदन पेश करने के प्रावधान नहीं होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है तथा अपील स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2017 निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा आवेदित रास्ता चक 58 एफ ए के मु.नं. 18 के कि.नं. 1, 10, 11 में 2–2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार राज.काश्त.(सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 70 की पालना कर रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर